Emakulam Loco Shed

1505. SHRI T. K. C- VADUTHALA; Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government's attention faas been drawn to •a news item which appeared in Malayala Manorama dated the 19th October, 1986 to the effect that the repair and maintenance work of Diesel Engines which was being done at Erria-kulam loco shed, had been shifted ous-side *Kerala and this was a preludg for shifting the loco shed from Kerala, if so, what is this reaction of Government in the matter;

<b) what was the capacity of the diesel loco shed at Emakulam according to rhe . original proposal and its area of function;

(c) whether it is a fact that the capacity was subsequently reduced; and

(d) whether *fas* shifting Of the work from Emakulam has resulted in consequent reduction in staff strength?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) There is no proposal to close down the Emakulam Diesel Loco Shed as reported in the news item.

(b) This Shed was set up for the maintenance of 20 diesej electric locomotive.

(c) No, Sir,

(d) Not *yet.*

भारत में महिलाओं के दर्जे संबंधी समिति की सिफारिशें

1506. श्री राम चन्द्र विकल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में महिलाओं के दर्जे संबंधी समिति द्वारा कुछ समय पूर्व सरकार को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में क्या सिफारिशें की गई हैं ;

(ख) उक्त सिफारिशों के कार्यान्वियन में क्या कठिनाइयां पेश आ रही हैं ;

(ग) अब तक कौन सी सिफारिश क्रियान्वित की जा चुकी है; और

(घ) सरकार उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है जिन्हें अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में, युवा, खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) समिति ने कई प्रकार के कार्यों के लिए 52 सिफारिशें की थीं जिनमें विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के दर्जे में सुधार करना शामिल था, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक कानून, ग्राम पंचायतों में महिलाओं ो शामिल करना आदि-आदि ।

(ख) बुनियादी वैचारात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता है । यह एक सतत और धीमी प्रक्रिया है ।

(ग) और (घ) महिलाओं के दर्जे संबंधी समिति द्वारा की गई 52 सिफारिशों में से, अधिकार प्राप्त समिति ने 20 सिफारिशें मानी थीं । 19 सिफारिशों को आशोधनों के साथ स्वीकार किया गया और 13 सिफारिशें अस्वीकृत कर दी गई थीं । इन सिफारिशों का क्रियान्वयन न केवल दीर्घकालिक ही है बल्कि सातत्य किस्म का है जिसके लिए निरन्तर कार्य करते रहने की आवश्यकता है । महिला एवं बाल विकास विभाग प्रमुख विभाग के रूप में, समिति द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों के संचालनकर्ता विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच समन्वय और देखरेख कर रहा है ।